



2026:AHC:128263

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 20036 वर्ष 2026

आमिर

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता :

दीक्षा गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता :

शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान एजीए को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 18 वर्ष 2026 में, भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 115(2), 105, 109(1), 351(3) एवं 131 के अंतर्गत, थाना-मुबारकपुर, जनपद-आजमगढ़ से संबंधित प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त काशिफ कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.05.2026 को पारित आदेश, आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या 18774 वर्ष 2026 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक के आपराधिक पूर्ववृत्त का समुचित स्पष्टीकरण जमानत प्रार्थना-पत्र के अनुच्छेद संख्या 28 में दिया गया है तथा वह दिनांक 15.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि वह इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त काशिफ कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त काशिफ कुमार को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत प्रदान की जा चुकी है तथा उक्त आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न तो निरस्त किया गया है और न ही स्थगित किया गया है, तथा आवेदक दिनांक 15.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना उपयुक्त समझता हूँ।

7. जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त **आवेदक-आमिर** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। साथ ही, रिहाई आदेश जारी किए जाने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा।

(i) आवेदक एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु वाद नियत होगा और गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस तिथि पर वह किसी प्रकार का स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तथा उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है और ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय विधि

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुसार उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा— (1) वाद के प्रारंभ, (2) आरोप निर्धारण के समय तथा (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत उसके कथन के अभिलेखन के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, जमानत निरस्त किए जाने का यह एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

17 जून, 2026

कुमार मनीष

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।